# राजस्थान सरकार

# कार्यालय जिला कलक्टर(रसद), ब्यावर

क्रमांकः– रसद/एफपीएस/उ.मू.दु.आवंटन/2025/ दिनांक :– यथा हस्ताक्षर

## –: विज्ञप्ति :–

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग जयपुर, राजस्थान द्वारा उचित मूल्य दुकानों के आवंटन हेतु जारी दिशा–निर्देश पत्र क्रमांक एफ.17(1)खा.वि./विधि/08 जयपुर, दिनांक 17.03.2016 एवं पत्र क्रमांक एफ.17(5) खा.वि./न्याय/महि.आर./2019 जयपुर, दिनांक 25.11.2020 एवं क्रमांक एफ 17(4)खा.वि./न्याय/2025 दिनांक 10.05.2025 की पालना में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 3(1) के अन्तर्गत प्राधिकार पत्र जारी किये जाने बाबत ब्यावर जिले में रिक्त/नवसृजित कुल 61 उचित मूल्य दुकानों के लिए इच्छुक एवं पात्र व्यक्तियों/संस्थाओं (सहकारी समितियां, महिला स्वयं सहायता समूह आदि) से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। रिक्त एवं नवसृजित उचित मूल्य दुकानों का विवरण निम्नानुसार हैः–

| क्र.सं. | नगरपरिषद/नगरपालिका/तहसील का नाम | क्र.सं. | उचित मूल्य दुकान का प्रस्तावित स्थान | ग्राम पंचायत/वार्ड | रिक्त/नवसृजित | रिक्त उचित मूल्य दुकान कोड | आरक्षण स्थिति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | बिजयनगर | 1 | वार्ड संख्या 1 और 3 | न.पा.बिजयनगर | रिक्त | 1248 | अनारक्षित |
| 2 | | 2 | वार्ड संख्या 22 | न.पा.बिजयनगर | रिक्त | 2563 | महिला आरक्षित |
| 3 | | 3 | वार्ड संख्या 2 | न.पा.बिजयनगर | रिक्त | 29435 | अनारक्षित |
| 4 | | 4 | हनुतिया | हनुतिया | रिक्त | 15143 | अनारक्षित |
| 5 | | 5 | उत्तमी | उत्तमी | नवसृजित | – | महिला आरक्षित |
| 6 | | 6 | शिवनगर | शिवनगर | नवसृजित | – | अनारक्षित |
| 7 | | 7 | बरल | बरल | नवसृजित | – | अनारक्षित |
| 8 | मसूदा | 1 | कानाखेड़ा | कानाखेड़ा | रिक्त | 15115 | महिला आरक्षित |
| 9 | | 2 | रामपुरा | मोयणा | रिक्त | 7584 | महिला आरक्षित |
| 10 | | 3 | बचपड़ी | हरराजुपरा | रिक्त | 15135 | अनारक्षित |
| 11 | | 4 | खरवा | खरवा | रिक्त | 7583 | महिला आरक्षित |
| 12 | | 5 | मानपुरा | मानपुरा | नवसृजित | – | अनारक्षित |
| 13 | | 6 | राघपुरा | धोलादांता | नवसृजित | – | अनारक्षित |
| 14 | | 7 | कालाहेड़ी | किराप | नवसृजित | – | अनारक्षित |
| 15 | | 8 | गुवाड़िया | देवपुरा | नवसृजित | [illegible] | अनारक्षित |
| 16 | ब्यावर | 1 | वार्ड संख्या 27 | नगरपरिषद ब्यावर | रिक्त | 23080 | अनारक्षित |

Signature valid
Digitally signed by Kamal Ram Meena
Designation: Collector & District Magistrate
Date: 2025.08.20 [illegible]:10:09 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
17285230

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | ब्यावर | 2 | वार्ड संख्या 4 | नगरपरिषद ब्यावर | रिक्त | 22992 | अनारक्षित |
| 18 | | 3 | जालियाबास रूपा | सुरजपुरा | रिक्त | 2121 | अनारक्षित |
| 19 | | 4 | भैरूखेड़ा | बड़कोचरा | रिक्त | 15287 | महिला आरक्षित |
| 20 | | 5 | सोनियाना | लोटियाना | रिक्त | 2153 | अनारक्षित |
| 21 | | 6 | लोटियाना | लोटियाना | रिक्त | 7574 | महिला आरक्षित |
| 22 | | 7 | सरमालिया | सरमालिया | रिक्त | 2115 | अनारक्षित |
| 23 | | 8 | नून्द्री मेन्द्रतान | नून्द्री मेन्द्रतान | रिक्त | 2141 | महिला आरक्षित |
| 24 | | 9 | चिलियाबड़ (मुख्यालय जवाजा) | नाईकलां | रिक्त | 15286 | अनारक्षित |
| 25 | | 10 | नून्द्री मालदेव | नून्द्री मालदेव | रिक्त | 2112 | अनारक्षित |
| 26 | | 11 | बाड़िया भाउ | बाड़िया भाउ | नवसृजित | – | महिला आरक्षित |
| 27 | टाडगढ़ | 1 | बराखन (सेन्टर बुजारेल) | बराखन | रिक्त | 2084 | अनारक्षित |

| क्र.सं. | तहसील का नाम | क्र.सं. | उचित मूल्य दुकान का प्रस्तावित स्थान | ग्राम पंचायत/वार्ड | रिक्त/नवसृजित | रिक्त उचित मूल्य दुकान कोड | आरक्षण स्थिति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | ब्यावर | 1 | प्रताप नगर ब्यावर<br>वार्ड सं. पुराना (राशन कार्ड अनुसार): 26 / नया: 39 | नगर परिषद ब्यावर | रिक्त | 23617 | महिला आरक्षित |
| 29 | | 2 | चांग चितार रोड़, ब्यावर<br>वार्ड सं. पुराना (राशन कार्ड अनुसार): 28 / नया: 31 | नगर परिषद ब्यावर | रिक्त | 23684 | अनारक्षित |
| 30 | | 3 | पुराना मसुदा रोड़ ब्यावर<br>वार्ड सं. पुराना (राशन कार्ड अनुसार): 43 / नया: 53 | नगर परिषद ब्यावर | रिक्त | 23638 | महिला आरक्षित |
| 31 | | 4 | हाउंसिग बोर्ड उदयपुर रोड़ ब्यावर<br>वार्ड सं. पुराना (राशन कार्ड अनुसार): 35 / नया: 43 | नगर परिषद ब्यावर | रिक्त | 23701 | अनारक्षित |
| 32 | | 5 | मेवाड़ी गेट ब्यावर<br>वार्ड सं. पुराना (राशन कार्ड अनुसार): 21 / नया: 27 | नगर परिषद ब्यावर | रिक्त | 23236 | महिला आरक्षित |

Signature valid
Digitally signed by Kamal Ram Meena
Designation : Collector & District Magistrate
Date: 2025.08.20 1[illegible]:10:09 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 17285230

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | ब्यावर | 6 | फतेहपुरिया दोयम ब्यावर शहर<br>वार्ड सं. पुराना (राशन कार्ड अनुसार): 32 / नया: 33 | नगर परिषद ब्यावर | नवसृजित | — | अनारक्षित |
| 34 | | 7 | जटिया कॉलोनी ब्यावर शहर<br>वार्ड सं. पुराना (राशन कार्ड अनुसार): 24 / नया: 37 | नगर परिषद ब्यावर | रिक्त | 23661 | अनारक्षित |
| 35 | | 8 | किशनपुरा | किशनपुरा | नवसृजित | — | महिला आरक्षित |
| 36 | | 9 | भोपो का बाड़िया उदयपुर चुंगी नाका | गणेशपुरा | नवसृजित | — | अनारक्षित |
| 37 | | 10 | गणेशपुरा | गणेशपुरा | रिक्त | 2111 | महिला आरक्षित |
| 38 | रायपुर | 1 | आसन जिलेलाव | कलालिया | रिक्त | 15796 | अनारक्षित |
| 39 | | 2 | रातड़िया | रातड़िया | रिक्त | 1536 | महिला आरक्षित |
| 40 | | 3 | रामगढ़ | सेन्दड़ा | रिक्त | 1523 | महिला आरक्षित |
| 41 | | 4 | रावणिया | रावणिया | नवसृजित | — | अनारक्षित |
| 42 | | 5 | धोलिया | सेन्दड़ा | नवसृजित | — | अनारक्षित |
| 43 | | 6 | रेलमगरा | मेघदड़ा | नवसृजित | — | महिला आरक्षित |
| 44 | | 7 | बर | बर वार्ड न. 15 | नवसृजित | — | अनारक्षित |
| 45 | | 8 | बासनी कवियान | रामपुरा | नवसृजित | — | अनारक्षित |
| 46 | | 9 | पचानपुरा | पचानपुरा | नवसृजित | | अनारक्षित |
| 47 | | 10 | काणुजा | काणुजा | नवसृजित | | महिला आरक्षित |
| 48 | | 11 | कोटकिराणा | कोटकिराणा | नवसृजित | | अनारक्षित |
| 49 | बदनोर | 1 | भैरूखेड़ा | जैतगढ़ | रिक्त | 31561 | अनारक्षित |
| 50 | | 2 | हरणिया मगरी | मोगर | नवसृजित | — | अनारक्षित |

Signature valid
Digitally signed by Kamal Ram Meena
Designation : Collector & District Magistrate
Date: 2025.08.20 1[illegible]:10:09 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 17285230

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | विजयनगर | 1 | जालिया द्वितीय | जालिया द्वितीय | रिक्त | 2255 | अनारक्षित |
| 52 | जैतारण | 1 | निमाज | निमाज | रिक्त | 15756 | अनारक्षित |
| 53 | | 2 | लाम्बिया | लाम्बिया | रिक्त | 1449 | महिला आरक्षित |
| 54 | | 3 | किशननगर | बैड़कलां | नवसृजित | — | अनारक्षित |
| 55 | | 4 | जैतारण | वार्ड न. 03, 05, 13 न.पा. जैतारण | नवसृजित | — | अनारक्षित |
| 56 | | 5 | बगतपुरा मण्डी चौराहा | बगतपुरा | नवसृजित | — | अनारक्षित |
| 57 | टाडगढ़ | 1 | टीलाखेड़ा | सातुखेड़ा | नवसृजित | — | अनारक्षित |
| 58 | | 2 | सरूपा | बामनहेड़ा | नवसृजित | — | महिला आरक्षित |
| 59 | | 3 | बड़ाखेडा | बड़ाखेडा | रिक्त | 2091 | अनारक्षित |
| 60 | बार | 1 | जैताखेड़ा | बार | नवसृजित | — | अनारक्षित |
| 61 | | 2 | नयागावं | सारोठ | रिक्त | 29371 | अनारक्षित |

उक्त विज्ञप्ति में क्र.सं. 1 से 27 स्थानो के लिए पूर्व में जिला कलक्टर (रसद) अजमेर द्वारा जारी विज्ञप्ति दिनांक 20.01.2023 के तहत जिन आवेदको द्वारा पूर्व में जिला रसद कार्यालय (अजमेर) में आवेदन जमा कराए गए है जो मान्य है उन्हे दुबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। उनके अलावा अन्य इच्छुक/पात्र व्यक्तियों/संस्था/समूह द्वारा आवेदन किया जा सकता है। शेष क्रमांक 28 से 61 तक नवीन विज्ञप्ति अनुसार आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं।

<u>उचित मूल्य दुकान आवंटन के लिए अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य पात्रताएं निम्नानुसार होगीः—</u>

1. शहरी क्षेत्र की उचित मूल्य की दुकान हेतु आवेदक उसी वार्ड का निवासी होना चाहिए जिस वार्ड के उपभोक्ताओं को राशन सामग्री वितरण करना है अर्थात् उस उचित मूल्य दुकान की अधिकारिता क्षेत्र में स्थित वार्ड्स में से किसी एक वार्ड का निवासी होना चाहिए।

   ग्रामीण क्षेत्र की उचित मूल्य दुकान के मामलों में आवेदक उसी पंचायत के किसी ग्राम या वार्ड का निवासी होना आवश्यक है, जिस पंचायत में उचित मूल्य की दुकान स्थित है। एक से अधिक योग्य आवेदन पत्रों के प्राप्त होने की स्थिति में वरीयता उसी वार्ड के निवासी को दी जाएगी जिसमें उचित मूल्य की दुकान स्थित है।

Signature valid
Digitally signed by Kamal Ram Meena
Designation : Collector & District Magistrate
Date: 2025.08.20 1[illegible]:10:09 IST
Reason: Approved

उचित मूल्य दुकान हेतु सभी श्रेणी के आवेदकों की **आयु 21 से 45** वर्ष होनी चाहिए अर्थात उचित मूल्य दुकान के आवेदन पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि को आवेदक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये।

2. आवेदक की शैक्षणिक योग्यता स्नातक एवं कम्प्यूटर में **Rajasthan Knowledge Corporation Limited (RKCL)** या अन्य समकक्ष सरकारी संस्थान का तीन माह का आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए। यदि उचित मूल्य की दुकानों के आवेदकों में कोई भी आवेदक स्नातक स्तर की शैक्षणिक योग्यता नहीं रखता है तो ऐसी स्थिति में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण आवेदकों के प्रार्थना पत्रों को भी आवंटन हेतु स्वीकार किया जा सकेगा। यदि आवेदक कम्प्यूटर में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं हो तो आवेदन के साथ आवेदक से यह घोषणा भी ली जाएगी कि वह चयनित होने के 06 माह की अवधि में ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त कर लेगा व ऐसे चयनित व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्राप्ति के बाद ही प्राधिकार–पत्र दिया जावेगा।
3. आवेदक को अन्नपूर्णा भण्डार हेतु राज्य द्वारा निर्धारित मापदण्ड पूर्ण करने होंगे। यदि आवेदक पहले से ही अन्नपूर्णा भण्डार के मापदण्डों को पूर्ण करता है, तो उसकी पुष्टि में दुकान का नक्शा–स्वामित्व–किरायानाम आदि से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगें।
4. **उचित मूल्य दुकान हेतु आवेदन करने वाले पुरूष/महिला के दिनांक 01.01.2015 के बाद पैदा हुई संतान सहित 02 से अधिक संतान नहीं होनी चाहिए। निर्धारित तिथि के पश्चात 02 से अधिक संतान होने की स्थिति में कोई भी व्यक्ति आवेदन का पात्र नहीं होगा। उचित मूल्य दुकान आवंटन होने के पश्चात भी यदि किसी उचित मूल्य दुकानदार के तीसरी संतान होती है तो ऐसे उचित मूल्य दुकानदार का प्राधिकार पत्र निरस्तनीय होगा, परन्तु किसी आवेदक के दिनांक 31.12.2014 को एक ही संतान है तथा पश्चातवर्ती किसी एकल प्रसव के एक से अधिक संताने पैदा हो जाती है तो संतानों की गणना करते समय इस प्रकार एक प्रसव से पैदा हुई संतानों को एक इकाई की समझा जावेगा।**
5. राज्य सरकार द्वारा टीएसपी क्षेत्र हेतु 45 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जनजाति 05 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति एवं 50 प्रतिशत स्थान अनारक्षित रखे जाने का प्रावधान रखे गये हैं। आरक्षित उचित मूल्य दुकानों के लिए संबंधित श्रेणी का आवेदक ही आवेदन हेतु पात्र होगा।
6. प्रत्येक आवेदक अथवा पदाधिकारी(महिला स्वयं सहायता समूह/ग्राम सेवा सहकारी समिति/लैम्पस/दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति) को अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करनी होगी कि उसके घर में कार्यशील शौचालय (Functional Toilet) है। उक्त प्रावधान उचित मूल्य दुकान आवंटन के लिए अनिवार्य अर्हता होगी।
7. आवेदक को दुकान आवंटन उपरांत जिस वितरण स्थल पर वितरण हेतु अधिकृत किया जाएगा वह स्थान कम से कम 30 फुट रोड़ पर स्थित होना चाहिए तथा उसका आकार 10 फीट x 20 फीट = 200 फीट न्यूनतम होना आवश्यक है।

- <u>आवेदन का तरीका</u> :–

1. आवेदन पत्र दिनांक **22.08.2025 से 12.09.2025** तक कार्यालय समय में जिला रसद अधिकारी कार्यालय ब्यावर (स्थानः– जय मन्दिर सिनेमा के पास, श्रम कल्याण विभाग परिसर ब्यावर) से [illegible] किए जा सकेंगे एवं भरे हुए आवेदन पत्र दिनांक **15.09.2025 को सायं** 05.00 बजे तक [illegible] कार्यालय, ब्यावर में प्रस्तुत किए जा सकेंगे।

Signature valid
Digitally signed by Kamal Ram Meena
Designation : Collector & District Magistrate
Date: 2025.08.20 1[illegible]:10:09 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
17285230

2. आवेदन पत्र का मूल्य 100 रूपये निर्धारित किया गया है जो भारतीय पोस्टल ऑर्डर (IPO अथवा Banker cheque- जिला रसद अधिकारी, ब्यावर के नाम जारी) के द्वारा जमा करवाया जा सकेगा। किसी अन्य स्थान यथा टाइपिस्ट, नोटरी, बुक स्टॉल से प्राप्त किए गए आवेदन पत्र स्वीकार नही किए जावेंगे।

- <u>आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज</u> :–

01. शैक्षणिक योग्यता(स्नातक) संबंधी प्रमाण–पत्र की प्रमाणित प्रति।

02. आरकेसीएल (आरएस–सीआईटी) कम्प्यूटर प्रशिक्षण का प्रमाण–पत्र। उक्त प्रमाण पत्र नहीं होने की स्थिति में शपथ पत्र संलग्न करना होगा, जिसमें यह उल्लेख होगा कि दुकान आवंटन होने के अधिकतम 06 माह के भीतर आरकेसीएल (आरएस–सीआईटी) का 03 माह का आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त कर प्रमाण–पत्र प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

03. आवेदक सहकारी समिति/महिला स्वयं सहायता समूह/निकाय होने की स्थिति में उनके प्रबंधक/सचिव की कम्प्यूटर दक्षता एवं शैक्षणिक योग्यताओं को पूर्ण करना अनिवार्य होगा। इस बाबत प्रमाण–पत्र भी प्रस्तुत करने होगें।

04. आवेदक सहकारी समिति/महिला स्वयं सहायता समूह/ग्राम पंचायत होने की स्थिति में संबंधित बोर्ड की अभिशंषा का पत्र प्रस्तुत करना होगा।

05. निजी आवेदकों के लिए 01 लाख रूपये का हैसियत प्रमाण–पत्र जो संबंधित तहसीलदार द्वारा जारी किया जायेगा।

06. महिला स्वयं सहायता समूह के लिए कार्यक्रम अधिकारी महिला अधिकारिता की अभिशंषा सहित समूह की वित्तीय हैसियत न्यूनतम 25 हजार रूपये होने संबंधी प्रमाण–पत्र की प्रति एवं महिला समूह का गठन कम से कम तीन वर्ष से पूर्व का हो समूह का कम से कम तीन वर्ष पमर्व का बैंक खाता हो तथा समूह के सदस्य तीन वर्षो से आंतरिक लेनदेन में संलग्न हो।

07. प्रस्तावित दुकान का नक्शा दो प्रतियों में उपलब्ध करवाना होगा जो संबंधित क्षेत्रीय प्रवर्तन अधिकारी/निरीक्षक द्वारा संवीक्षा के समय प्रमाणित किया जावेगा।

08. आवेदक द्वारा निम्न बिन्दुओं को अंकित करते हुए एक घोषणा पत्र दिया जावेगाः–

    a. आवेदक पूर्व में आवश्यक वस्तु अधिनियम एक्ट के तहत दण्डित नहीं हुआ है।
    b. आवेदक द्वारा दुकान का संचालन स्वयं किया जावेगा।
    c. आवेदक के परिवार में किसी सदस्य यथा, माता–पिता, पुत्र एवं पुत्री के नाम से पूर्व में कोई दुकान नहीं हैं।
    d. आवेदक को विधिक रूप से अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।
    e. आवेदक बालिग एवं स्वस्थ चित है, चाल–चलन अच्छा है तथा कभी दिवालिया घोषित नहीं हुआ है।
    f. आवेदक द्वारा दिनांक 01.01.2015 के बाद दो से अधिक संतान नहीं होने का स्पष्ट कथन किया जायेगा।

09. मूल निवास प्रमाण–पत्र की प्रमाणित प्रति।

10. आधार कार्ड की प्रमाणित प्रति।

11. राशनकार्ड की प्रमाणित प्रति।

12. मतदाता परिचय पत्र की प्रमाणित प्रति।

Signature valid
Digitally signed by Kamal Ram Meena
Designation : Collector & District Magistrate
Date: 2025.08.20 11:10:09 IST
Reason: Approved

- **चयन प्रकिया एवं प्राथमिकता :–**

  आरक्षित स्थानों के लिए संबंधित श्रेणी का आवेदक ही पात्र होगा। अनारक्षित स्थानों में चयन करने मे प्राथमिकता क्रम निम्नानुसार होगा:–

(क) **प्रथम वरीयता** (संस्थागत) के अन्तर्गत निम्नलिखित प्राथमिकता क्रम में आधार पर चयन किया जायेगा:–

1. ग्राम सेवा सहकारी समिति/लेम्पस(वृहत्तर क्षेत्रीय बहुउद्देशीय सहकारी समिति)/दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति जो कि सहकारी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत है।
2. महिला स्वयं सहायता समूह जो राज्य सरकार के महिला अधिकारिता विभाग से चयनित अथवा मान्यता प्राप्त है। आवेदक महिला स्वयं सहायता समूह को 03 वर्ष का कार्यानुभव हो।
3. ग्राम पंचायत /निगमित निकाय।

**नोट:–** यदि क्रम संख्या 1, 2 एवं 3 के अन्तर्गत एक ही आवेदन प्राप्त होता है तो उसे प्राधिकार पत्र जारी किया जा सकेगा। इस श्रेणी के दो या दो से अधिक आवेदन प्राप्त होनें पर ही आवंटन हेतु निर्धारित प्रक्रिया अपनायी जावेगी।

(ख) **द्वितीय वरीयता** व्यक्तिगत (प्रथम वरीयता में आवेदन उपलब्ध नहीं होने पर)

1. बेरोजगार
2. नि:शक्तजन
3. महिलायें

   (क) शहीद की विधवा (वीरांगना) (ख) विधवा (ग) परित्यक्ता
4. भूतपूर्व सैनिक
5. अन्य पात्र बेरोजगार

- उपरोक्त रिक्तियों के संबंध मे विभागीय पत्र क्रमांक एफ 17 (1) खा.वि./विधि/08 जयपुर दिनांक 17.03.2016 द्वारा जारी उचित मूल्य दुकानों के आवंटन के दिशा–निर्देश एवं उचित मूल्य दुकानांक की नियुक्ति में आरक्षण व्यवस्था लागू करने संबंधी पत्र दिनांक 25.11.2020 मे वर्णित चयन प्रकिया अनुसार कार्यवाही की जानी है। दिनांक 17.03.2016 के दिशा–निर्देश, दिनांक 25.11.2020 के पत्र तथा रिक्त उचित मूल्य दुकानों के संबंध में विस्तृत जानकारी जिला रसद कार्यालय ब्यावर और विभागीय वैंबसाइट **www.food.rajasthan.gov.in** से प्राप्त की जा सकती है।

- उक्त रिक्तियों में कमी/वृद्धि/संशोधन कार्यालय द्वारा किया जा सकता है तथा रिक्तियों को भरने/नहीं भरने के संबंध में कार्यालय का निर्णय सुरक्षित रहेगा।

( कमल राम मीना )
I.A.S.
जिला कलक्टर(रसद)
ब्यावर

Signature valid

Digitally signed by Kamal Ram Meena
Designation : Collector & District Magistrate
Date: 2025.08.20 1?:10:09 IST
Reason: Approved

क्रमांकः– रसद/एफपीएस/उ.मू.दु.आवंटन/2025/ दिनांक :– यथा हस्ताक्षर

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/पालनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. माननीय सांसद महोदय, संसदीय क्षेत्र अजमेर/राजसंमंद
2. माननीय विधायक महोदय, विधानसभा क्षेत्र ब्यावर, जैतारण, मसूदा, बदनोर, भीम, सोजत।
3. श्रीमान प्रमुख शासन सचिव महोदय, खाद्य एवं नागरिक आपूर्त्ति विभाग जयपुर।
4. श्रीमान् संभागीय आयुक्त महोदय, अजमेर।
5. श्रीमान अतिरिक्त खाद्य आयुक्त महोदय, खाद्य एवं नागरिक आपूर्त्ति विभाग जयपुर।
6. श्रीमान उपायुक्त एवं उपशासन सचिव महोदय, खाद्य एवं नागरिक आपूर्त्ति विभाग जयपुर।
7. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, खाद्य विभाग जयपुर को उक्त विज्ञप्ति को विभागीय वेबसाईट पर www.food.rajasthan.gov.in पर अपलोड करने हेतु।
8. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी ब्यावर को ब्यावर के स्थानीय समाचार पत्रों में निशुल्क प्रकाशनार्थ प्रेषित है।
9. श्रीमान् अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, ब्यावर।
10. उप रजिस्ट्रार, सहकारी समिति ब्यावर।
11. उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, ब्यावर।
12. प्रवर्तन अधिकारी/निरीक्षक कार्यालय हाजा।
13. नोटिस बोर्ड, पर चस्पा हेतु कार्यालय जिला कलेक्ट्रेट ब्यावर,/उपखण्ड अधिकारी ब्यावर /मसूदा/जैतारण/रायपुर/बदनोर/टाडगढ़ एवं जिला रसद अधिकारी कार्यालय, ब्यावर।
14. विकास अधिकारी पंचायत समिति जवाजा, मसूदा, रायपुर, जैतारण, बदनौर नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
15. रक्षित पत्रावली।

**जिला कलक्टर (रसद)**
**ब्यावर**

Signature valid
Digitally signed by Kamal Ram Meena
Designation : Collector & District Magistrate
Date: 2025.08.20 1?:10:09 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
17285230